उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-10/2019-20

उमेश यादव वगै0

बनाम्

उपेन्द्र प्रसाद यादव वगै0

-: आदेश :-

दिनांक	
18/02/20	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक उमेश यादव वो महेन्द्र यादव वो जयहिन्द यादव वो सत्येन्द्र प्रसाद यादव वो जय प्रकाश यादव, पिता-स्व0 शनिचर यादव वो संजीत यादव, पिता-स्व0 महेश यादव, सभी सा0+पो0-बंदनवार, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा के द्वारा अधिसूचना सं0-184/2016-17(रेलवे), 145/भू0अ0 गोड्डा दिनांक-30.01.2019 के द्वारा निर्गत हितबद्ध सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-तेतरिया नं0-205 के जमाबंदी सं0-14 के दाग नं0-9 रकवा 00.319 एकड़ जमीन का नई बी0जी0, रेलवे लाईन गोड्डा से पीरपैंती के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा के द्वारा अधिसूचना सं0-184/रेलवे, 145/भू0अ0, गोड्डा दिनांक-30.01.2019 के द्वारा हितबद्ध सूची जारी किया गया है। लेकिन जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा के अधिसूचना के कॉलम 8 के हितबद्ध व्यक्तियों के पहले सूची में आवेदक का नाम का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि अधिसूचना के कॉलम 8 के क्रमांक 31 एवं 32 में विपक्षी सं0-01 एवं 02 का नाम का उल्लेख किया गया है। जबकि मौजा-तेतरिया नं0-205 जमाबंदी सं0-14 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हरिमोहन महतो वो कारू महतो, पे0-कैलू महतो के नाम से दर्ज है। आवेदक सं0-01 से 05 तक गत जमाबंदी रैयत कैलू महतो के पोता है तथा आवेदक सं0-06 परपोता है। उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो को दो पुत्री तेतरी देवी एवं कलैया देवी हुए। तेतरी देवी को एक पुत्री विमला देवी हुए। विमला देवी अपने पीछे दो पुत्र विपक्षी सं0-01 उपेन्द्र यादव एवं विपक्षी सं0-02 अनुपलाल यादव को

छोड़कर फौत कर गये। कलैया देवी अपने पीछे दो पुत्र विपक्षी सं0–03 बाल्मिकी यादव एवं विपक्षी सं0–04 देवेन्द्र यादव को छोड़कर फौत कर गये। लेकिन हितबद्ध सूची में विपक्षी सं0–03 एवं 04 का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जमाबंदी रैयत कैलू महतो को एक मात्र पुत्र शनिचर महतो हुए, जिनको छः पुत्र क्रमशः उमेश यादव, महेन्द्र यादव, जयहिन्द यादव, सत्येन्द्र यादव, जय प्रकाश यादव एवं महेश यादव हुए। महेश यादव को एक पुत्र संजीत यादव हुए। आवेदकगण उक्त जमाबंदी जमीन के आधे के हकदार है। इसलिए अर्जित जमीन का आधा हिस्सा आवेदकगण को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने मौजा–तेतरिया नं0–205 के जमाबंदी सं0–14 के दाग नं0–9 रकवा 00.319 एकड़ जमीन के आधा हिस्से पर जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा के द्वारा अधिसूचना सं0–184/2016–17(रेलवे), 145/भू0अ0 गोड्डा दिनांक–30.01.2019 के निर्गत अधिघोषणा के हितबद्ध सूची में नाम दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–तेतरिया नं0–205 जमाबंदी नं0–14 के जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो वो कारू महतो, पे0–कैलू महतो कौम–ग्वाला कहकर गेंजर सर्वे सेटलमेंट के पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो गेंजर सर्वे सेटलमेंट के बाद सन् 1961 ई0 में अपने पीछे दो पुत्री तेतरी देवी और कलैया देवी को छोड़कर फौत कर गये तथा तेतरी देवी भी अपने पीछे एक पुत्री विमली देवी को छोड़कर फौत कर गई एवं विमली देवी भी अपने पीछे दो पुत्र उपेन्द्र प्र0 यादव और अनुपलाल यादव को छोड़कर फौत कर गये। कलैया देवी भी अपने पीछे दो पुत्र बाल्मिकी यादव और देवेन्द्र यादव को छोड़कर फौत कर गई। कलैया देवी ने दिनांक–12.04.1990 ई0 को गोड्डा न्यायालय परिसर में आकर एक शपथ पत्र बनवाकर अपना टीप निशान लगा दिया कि मैं बपौती जमीन जगह नहीं लूँगी। विपक्षी सं0–03 एवं 04 का मौजा–तेतरिया नं0–205 जमाबंदी नं0–14 के दाग नं0–09 की जमीन पर कोई हक व अधिकार नहीं है, इसलिए बी0जी0 रेलवे लाईन, गोड्डा से पीरपैंती जाने वास्ते अधिसूचना नं0–1841/2016–17 रेलवे 145/एल0ए0 दिनांक–30.01.2019 के कॉलम 08 में विपक्षी नं0–03 और 04 का नाम सूची में नाम नहीं आया है। जमाबंदी रैयत कारू महतो अपने पीछे एक पुत्र शनिचर महतो को छोड़कर मर गये तथा शनिचर महतो भी अपने पीछे क्रमशः छः पुत्र उमेश यादव, महेन्द्र यादव, जयहिन्द यादव, सत्येन्द्र यादव, जयप्रकाश यादव एवं महेश यादव को

छोड़कर फौत कर गये। विपक्षी सं0–03 और 04 भी रेलवे लाईन के लिए हितबद्ध सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मि0पी0 नं0–08/2019 दायर किया था, किन्तु यह मि0पी0 दिनांक–25.03.2021 ई0 को खारिज हो चुका है। जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो और कारू महतो दोनों सहोदय भाई है। ग्रामीण पंचनामा के आधार पर दिनांक–05.03.1958 ई0 को अलग हो चुका है। मौजा–तेतरिया नं0–205 के जमाबंदी नं0–14 की सारी जमीन जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो को हिस्सा में मिला है तथा मौजा–श्रीपुर नं0–199 जमाबंदी नं0–57 की जमीन कारू महतो को हिस्सा में मिला है तथा तेतरिया मौजा में कुल रकवा 01–08–16 धुर जमीन है तथा श्रीपुर मौजा में कुल रकवा 02–03–17 धुर जमीन है, जो अधिक जमीन है। उसका बँटवारा पंचायत के आधार पर अभी तक नहीं किया गया है। दिनांक–05.03.1958 ई0 के बाद से दोनों सहोदर भाई अलग–अलग खेती करने लगे और खजाना रसीद भी कटवाने लगे। उसी के आधार पर विपक्षी सं0–01 और 02 तेतरिया मौजा की सारी जमीन का खजाना रसीद कटवा रहे हैं और दखल कब्जा पर है। आवेदकगण का नाम रेलवे द्वारा अधिग्रहित जमीन के हितबद्ध सूची में नहीं आया है। सिर्फ विपक्षी सं0–03 और 04 का नाम लिस्ट में अंकित है, जो सही है। चूँकि जमाबंदी रैयत कारू महतो को मौजा–तेतरिया की सारी जमीन हिस्सा में नहीं मिला है, इसलिए उनके वंशज आवेदकगण का नाम रेलवे लिस्ट में अंकित नहीं है और न खजाना रसीद ही कटवाते हैं। मौजा–तेतरिया नं0–205 जमाबंदी नं0–14 का वंशावली निम्न प्रकार है :–

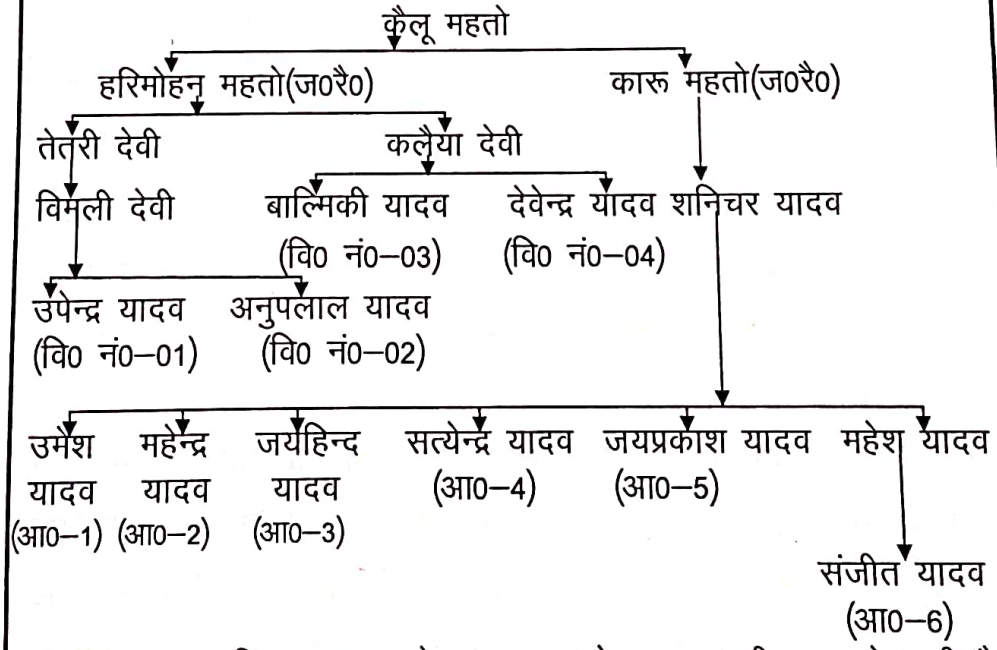

शनिचर यादव को छठा पुत्र महेश यादव की मृत्यु हो चुकी है, वे अपने पीछे पुत्र संजीत यादव को छोड़कर फौत कर गये, जो आवेदक

सं0–06 है। इस प्रकार आवेदकगण सं0–01 से 06 तक को मौजा–तेतरिया नं0–205 के जमाबंदी नं0–14 के दाग नं0–09 की जमीन पर कोई हक व अधिकार नहीं है और न विपक्षी नं0–03 एवं विपक्षी नं0–04 कोई भी उस जमीन पर दखल एवं कब्जा नहीं है। इसलिए इनलोगों का नाम हितबद्ध सूची में नहीं है। सिर्फ विपक्षी नं0–01 और 02 का नाम दर्ज है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि गोड्डा पीरपैंती नया बी0जी0 रेल लाईन निर्माण के लिए मौजा–तेतरिया थाना नं0–205 अंचल–पथरगामा अन्तर्गत खाता सं0–14 दाग नं0–09 अर्जनाधीन है। उक्त मौजा में अद्यतन धारा–11 की प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा–19 की अधिघोषणा प्रकाशित की जा चूकी है। धारा–11 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में जमाबंदी सं0–14 दाग नं0–09 रकवा–0.319 एकड़ जमीन हरिमोहन महतो वो कारू महतो (ज0रै0) के वर्तमान वारिसान का प्रतिवेदन अप्राप्त कहकर अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–941/रा0 दिनांक–28.12.2018 के द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों का नाम–1. उपेन्द्र प्र0 यादव, पिता–स्व0 मुनेश्वर प्र0 यादव का अंशभाग–0.1595 एकड़ एवं 2. अनुपलाल यादव, पिता–स्व0 मुनेश्वर यादव, सा0–बन्दनवार का अंशभाग–0.1595 एकड़ जमीन अंकित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त हितबद्ध के आलोक में धारा–19 की अधिघोषणा में जमाबंदी नं0–14 दाग नं0–09 अन्तर्गत 1. उपेन्द्र प्र0 यादव, पिता–स्व0 मुनेश्वर प्र0 यादव का अंशभाग–0.1595 एकड़ जमीन एवं 2. अनुपलाल यादव, पिता–स्व0 मुनेश्वर प्र0 यादव, सा0–बन्दनवार का अंशभाग–0.1595 एकड़ जमीन अंकित कर प्रकाशित किया गया है। सरकार के सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–735 दिनांक–22.07.2019 के द्वारा गोड्डा पीरपैंती (61.62 कि0मी0) रेलखण्ड हेतु भूमि अधिग्रहण को स्थगित रखने का निर्देश प्राप्त है, के आलोक में गोड्डा–पीरपैंती रेलखण्ड संबंधी भू–अर्जन की अग्रेत्तर कार्रवाई स्थगित है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–तेतरिया नं0–205 जमाबंदी सं0–14 कुल रकवा 01–08–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में हरिमोहन महतो वो कारू महतो पेसरान कैलू महतो के नाम से दर्ज है। आवेदकगण ने उक्त जमाबंदी के जमीन पर गत जमाबंदी

रैयत कारू महतो के वंशज के आधार पर दावा किया है तथा विपक्षीगण ने गत जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो के वंशज के आधार पर दावा किया है। विपक्षीगण का कथन है कि जमाबंदी रैयत हरिमोहन महतो एवं कारू महतो ग्रामीण पंचनामा दिनांक–05.03.1958 के आधार पर अलग हो चुके है तथा मौजा–तेतरिया की जमीन हरिमोहन महतो को प्राप्त हुआ और कारू महतो को मौजा–श्रीपुर में जमीन प्राप्त हुआ और उसी के अनुसार उभय पक्ष जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मामला स्वत्व से संबंधित है। ऐसी स्थिति में आवेदक के दावा पर इस स्तर से निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी०वी०-38
18/02/2022

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:46:34 +05:30
Location: 192.168.29.8